सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़, 1943 (श०)

संख्या- 352 राँची, शुक्रवार, 16 जुलाई, 2021 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई, 2021

संख्या-एल०जी०-09/2021-43/लेज०-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-11/07/2021 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021

(झारखण्ड अध्यादेश संख्या- 01, 2021)

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम- 06, 2001) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश

प्रस्तावना

चूंकि झारखण्ड राज्य विधान मंडल सत्र में नही है, और, झारखण्ड राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 का, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने हेतु उनके लिए तुंरत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,

इसलिए, अब, 'भारत का संविधान' के अनुछेद 213 के खंड- (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ -

(1) यह अध्यादेश झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 कहा जायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा सिवाय उन क्षेत्रों के जहाँ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 7, 2012) या केन्टोनमेंट अधिनियम, 1924 (अधिनियम ii,1924) के उपबंध लागू हैं ।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 (अधिनियम, 06, 2001) की धारा 24 का संशोधन । - उक्त अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (4) निम्नवत प्रतिस्थापित की जाएगी:-

''(4) यदि उपधारा (3) में वर्णित अवधि की समाप्ति के पूर्व, ग्राम पंचायत पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह अवधि की समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा (107) के उपबंध उस पंचायत के संबंध में, छः मास से अनाधिक अवधि के लिए, जिस अवधि के भीतर ग्राम पंचायत इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे ।

3. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 (अधिनियम, 06, 2001) की धारा 24 का संशोधन । - उक्त अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (4) के बाद निम्न नई उपधारा (5) जोड़ी जायेगी:-

''(5) महामारी जिसमें ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए निर्वाचन या उप निर्वाचन सम्पन्न कराना संभव न हो, तो उचित कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार, धारा (107) के उपबंध उस ग्राम पंचायत या उन ग्राम पंचायतों के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि अथवा आगामी निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लागू करने पर निर्णय ले सकेगी।

4. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 (अधिनियम, 06, 2001) की धारा 42 का संशोधन । - उक्त अधिनियम की धारा 42 की उप धारा (4) निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाएगी:

''(4) उपधारा (3) में विहित अवधि की समाप्ति के पूर्व पंचायत समिति पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह उक्त अवधि के समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा (107) के उपबंध उसके संबंध में छः मास से अनधिक अवधि के लिए, जिस अवधि के भीतर पंचायत समिति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे ।

5. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 (अधिनियम, 06, 2001) की धारा 42 का संशोधन । - उक्त अधिनियम की धारा 42 की उप धारा (4) के बाद निम्न नई उपधारा (5) जोड़ी जायेगी:

''(5) महामारी जिसमें पंचायत समिति या पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए निर्वाचन या उप निर्वाचन सम्पन्न कराना संभव न हो, तो उचित कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार, धारा (107) के उपबंध उस पंचायत समिति या उन पंचायत समितियों के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि अथवा आगामी निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लागू करने पर निर्णय ले सकेगी।

6. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 (अधिनियम, 06, 2001) की धारा 57 का संशोधन । - उक्त अधिनियम की धारा 57 की उप धारा (4) निम्नवत् प्रतिस्थापित की जाएगी:

''(4) उपधारा (3) में विहित अवधि की समाप्ति के पूर्व जिला परिषद् पुनर्गठित नहीं की जाती है तो वह उक्त अवधि की समाप्ति पर विघटित हो जाएगी और धारा (107) के उपबंध उसके संबंध में छः माह से अनाधिक अवधि के लिए, जिस अवधि के भीतर जिला परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनर्गठित की जाएगी, लागू होंगे ।

7. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 (अधिनियम, 06, 2001) की धारा 57 का संशोधन । - उक्त अधिनियम की धारा 57 की उप धारा (4) के बाद निम्न नई उपधारा (5) जोड़ी जायेगी:

''(5) महामारी जिसमें जिला परिषद या जिला परिषदों के पुनर्गठन के लिए निर्वाचन या उप निर्वाचन सम्पन्न कराना संभव न हो, तो उचित कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार, धारा (107) के उपबंध उस जिला परिषद या उन जिला परिषदों के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि अथवा आगामी निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लागू करने पर निर्णय ले सकेगी।

8. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम- 2001 (अधिनियम, 06, 2001) की धारा 107 का संशोधन । - उक्त अधिनियम की धारा 107 की उप धारा (5) के बाद निम्न नई उपधारा (6) जोड़ी जायेगी:

''(6) महामारी जिसमें ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद के पुनर्गठन के लिए आम निर्वाचन या उप निर्वाचन सम्पन्न कराना संभव न हो, तो उचित कारणों का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार, धारा (107) की उपधारा (3) (ख) (ग) एवं उपधारा (4) के उपबंध उस ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् के संबंध में, छः मास से अधिक अवधि अथवा आगामी निर्वाचन पूर्ण होने तक की अवधि के लिए लागू करने पर निर्णय ले सकेगी ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

16 जुलाई, 2021

संख्या–एल०जी०–09/2021–44/लेज०-- माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक–11/07/2021 को अनुमत **झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश**, 2021 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

The Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021

(Jharkhand Ordinance No. 01, 2021)

An Ordinance to amend the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Jharkhand Act 06, 2001)

Preamble

WHEREAS, the legislature of the State of Jharkhand is not in session; AND, WHEREAS, The Governor of Jharkhand is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend the JHARKHAND PANCHAYAT RAJ ACT, 2001 (ACT 06, 2001), in the manner herein after appearing; NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance;-

1. Short title, extent and commencement-

(1) This Ordinance may be called the Jharkhand Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2021

(2) It shall extend to whole of the State of Jharkhand excepting the areas to which the provisions of the Jharkhand Municipal Act, 2011 (Jharkhand Act No. 7 of 2012) or Cantonment Act, 1924, (Act II of 1924) apply.

(3) It shall come into force from date of publication in Official Gazette.

2. Amendment of Section 24 of the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Act 06 of 2001).- sub-section (4) shall be substituted of Section 24 of the said Act as Following :-

"(4) If the Gram Panchayat is not reconstituted before the expiry of the term mentioned in sub-section (3), it shall stand dissolved on the expiry of the term, and the provisions of section (107) shall apply to the said Panchayat for a term not exceeding six months within which the Gram Panchayat shall be reconstituted according to the provisions of this Act."

3. Amendment of Section 24 of the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Act 06 of 2001).- A new sub-section (5) shall be added after sub-section (4) of Section 24 of the said Act as Following :-

"(5) If due to pandemic it is not possible to hold the General Election or bye Election for reconstitution of Gram Panchayat or Gram Panchayats, citing proper causes State Government may take decision to enact provisions of section (107) for that Gram Panchayat or those Gram Panchyats for a period exceeding six months OR up to completion of next election or bye election"

4. Amendment of Section 42 of the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Act 06 of 2001).- sub-section (4) shall be substituted of Section 42 of the said Act as Following :-

"(4) If the Panchayat Samiti is not reconstituted before the expiry of the term mentioned in sub-section (3), it shall stand dissolved on the expiry of the term, and the provisions of section (107) shall apply to the said Panchayat Samiti for a term not exceeding six months within which the Panchayat Samiti shall be reconstituted according to the provisions of this Act."

5. Amendment of Section 42 of the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Act 06 of 2001).- A new sub-section (5) shall be added after sub-section (4) of Section 42 of the said Act as Following :-

"(5) If due to pandemic it is not possible to hold the General Election or bye Election for reconstitution of Panchayat Samiti or Panchayat Samities, citing proper causes State Government may take decision to enact provisions of section (107) for that Panchayat Samiti or those Panchayat Samities for a period exceeding six months or up to completion of next election or bye election"

6. Amendment of Section 57 of the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Act 06 of 2001).- sub-section (4) shall be substituted of Section 57 of the said Act as Following :-

"(4) If the Zila Parishad is not reconstituted before the expiry of the term mentioned in sub-section (3), it shall stand dissolved on the expiry of the term, and the provisions of section (107) shall apply to the said Zila Parishad for a term not exceeding six months within which the Zila Parishad shall be reconstituted according to the provisions of this Act."

7. Amendment of Section 57 of the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Act 06 of 2001).- A new sub-section (5) shall be added after sub-section (4) of Section 57 of the said Act as Following :-

"(5) If due to pandemic it is not possible to hold the General Election or bye Election for reconstitution of Zila Parishad or Zila Parishads, citing proper causes State Government may take decision to enact provisions of section (107) for that Zila Parishad or those Zila Parishads for a period exceeding six months OR up to completion of next election or bye election"

8. Amendment of Section 107 of the Jharkhand Panchayat Raj Act, 2001 (Act 06 of 2001).- A new sub-section (6) shall be added after sub-section (5) of Section 107 of the said Act as Following :-

"(6) If due to pandemic, it is not possible to hold the General Election or bye Election for reconstitution of Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad, citing proper causes State Government may take decision to enact provisions of sub section (3) (b) (c) and sub section (4) of section (107) for that Gram Panchayat or Panchayat Samiti or Zila Parishad for a period exceeding six months or up to completion of next election or bye election "

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 352 -- 50